# इलेक्शन टुडे

==========================================================================

दिनांक - 24 नवम्बर 2018 अंक – 45

==========================================================================


विधानसभा आम चुनाव -2018

## 2 लाख 61 हजार से अधिक शस्त्र थानों में जमा

भोपाल : शनिवार, 24 नवम्बर, 2018। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री व्ही.एल. कान्ता राव ने बताया है कि आदर्श आचरण संहिता लगने के बाद प्रदेश में 6 अक्टूबर से 23 नवम्बर 2018 तक कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था के लिये 1 लाख 76 हजार 549 व्यक्तियों पर प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई हैं। इस दौरान 52 हजार 582 गैर जमानती वारंट तामील करवाये गये हैं। साथ ही 4 हजार 891 अवैध हथियार जप्त किये गये हैं और 2 लाख 61 हजार 657 शस्त्र थानों में जमा कराये गये हैं।

सम्पत्ति विरूपण के अन्तर्गत 19 लाख 80 हजार 322 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं। इनमें से 19 लाख 24 हजार 413 प्रकरणों में कार्यवाही की गयी है। शासकीय सम्पत्ति विरूपण में14 लाख 57 हजार 760 प्रकरण पंजीबद्ध कर 14 लाख 22 हजार 33 प्रकरणों में कार्यवाही की गई है। निजी सम्पत्ति विरूपण के अंतर्गत 5 लाख 22 हजार 562 प्रकरण पंजीबद्ध कर 5 लाख 02 हजार 380 प्रकरणों में कार्यवाही की गई है। इस अवधि में वाहनों के दुरूपयोग पर 14 हजार 20 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं।

==========================================================================

विधानसभा आम चुनाव -2018

## 4 करोड़ 47 लाख से अधिक फोटो मतदाता पर्ची एवं 1 करोड़ 16 लाख से अधिक मतदाता मार्गदर्शिका वितरित

भोपाल : शनिवार, 24 नवम्बर, 2018। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन 2018 के लिये मतदान से पूर्व 1 करोड़ 25 लाख परिवारों के 4 करोड़ 47 लाख 43 हजार 179 मतदाताओं को घर-घर जाकर बीएलओ (बूथ लेवर ऑफिसर) के माध्यम से फोटो मतदाता पर्ची वितरित की गई है। साथ ही 1 करोड़ 16 लाख 3 हजार 791 मतदाता मार्गदर्शिका (वोटर गाईड) वितरित की गयी है।

मतदाताओं को जागरूक करने और निर्वाचन प्रक्रिया से भलीभांति अवगत करवाने के लयि मतदाता मार्गदर्शिका (वोटर गाइड) में मतदान कैसे करें तथा मतदान के लिये अनुमोदित पहचान अभिलेख क्या होंगे, के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई है। साथ ही ई.वी.एम. और वीवीपैट का उपयोग करने के लिये वोट देने की प्रक्रिया भी बताई गई है। मतदान केन्द्र के आस-पास एवं मतदान के दौरान "क्या करें" और "क्या नहीं करें" के संबंध में मतदाताओं को जानकारी दी गई है।

============================================================

विधानसभा आम चुनाव -2018

## 1 लाख 60 हजार से अधिक कर्मियों ने डाक-मतपत्र का उपयोग किया

भोपाल : शनिवार, 24 नवम्बर, 2018। मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन, 2018 में चुनाव कार्य में लगे कर्मियो ने फैसिलिटेशन सेंटर में 1 लाख 60 हजार 100 डाक मतपत्रों के द्वारा अपने मताधिकार का उपयोग किया ।

11 जिलों में 5 हजार से अधिक चुनाव कर्मियों ने डाक मतपत्र से मतदान किया है जिसमें इंदौर में 12 हजार 38, भोपाल में 7 हजार 120, सतना में 6 हजार 343, मुरैना में 7 हजार 387, होशंगाबाद में 6 हजार 817, रायसेन में 6 हजार 363, सागर में 6 हजार 290, धार में 7 हजार 233, उज्जैन में 5 हजार 788, शिवपुरी में 5 हजार 418 और विदिशा में 5 हजार 770 मतपत्र ।

============================================================

विधानसभा आम चुनाव -2018

## बेरिकेट्स और मंच आदि का खर्च प्रत्याशी के खाते में जुड़ेगा

भोपाल : शनिवार, 24 नवम्बर, 2018। संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री राजेश कौल ने बताया कि कोई भी राजनैतिक नेता दलीय प्रचार से हटकर किसी अभ्यर्थी के पक्ष में प्रचार-प्रसार करता है तब उस कार्यक्रम पर किया गया व्यय उम्मीदवार के खाते में डाल दिया जायेगा। दलों और आयोजकों के द्वारा किये जाने वाले कार्यक्रम सुरक्षा प्रबंध को ध्यान में रखते हए सरकारी एजेन्सियों द्वारा बैरीकेट या मंच इत्यादि का निर्माण किया जाता है। तब उस निर्वाचन क्षेत्र से लड़ रहे उम्मीदवार के खाते में व्यय डाला जायेगा। यदि उस कार्यक्रम में अन्य क्षेत्र के अभ्यर्थी भी सम्मिलित होते हैं तो उनका व्यय भार समान रूप में बांटा जायेगा। बैरीकेट या मंच आदि पर सरकारी एजेन्सियों द्वारा किया गया व्यय की जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा तीन दिवस में उम्मीदवार को दी जायेगी। जिसे उनके खाते में डाला जाएगा।

जब उम्मीदवार, राजनैतिक नेता अथवा आयोजक स्वयं के खर्चे से मंच अथवा बैरीकेट का निर्माण करता है तो उस कार्यक्रम में उपस्थित उम्मीदवार के खाते में राशि दर्शायी जायेगी। इस राशि का सत्यापन

नामित अधिकारी द्वारा किया जायेगा। जहां सरकारी एजेन्सियों द्वारा मंच आदि का निर्माण किया जाता है। ऐसी स्थिति में उम्मीदवार, राजनैतिक नेता अथवा आयोजक पूर्व से अनुमानित राशि जमा करेगा।

================================================================

विधानसभा आम चुनाव -2018

## एयरक्राफ्ट एवं हेलीकॉप्टर यात्रा व्यय पर हुए खर्चे अभ्यर्थी के खाते में जुड़ेंगे

भोपाल : शनिवार, 24 नवम्बर, 2018। संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री राजेश कौल ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार मतदान के पश्चात् तथा मतगणना की तारीख से पहले किये गये खर्चों को चुनावी खर्चा माना जायेगा। इसको उम्मीदवार के द्वारा अपने खर्चे में बताया जायेगा।

मतदान की तिथि के पश्चात् स्टार प्रचारक या अभ्यर्थी के यात्रा पर होने वाले व्यय को किसी अभ्यर्थी के खाते में नही जोड़ा जायेगा, परन्तु यदि स्टार प्रचारक अथवा अभ्यर्थी उस निर्वाचन क्षेत्र में जहां से वह चुनाव लड़ा है में जाता है तो मतदान की तारीख वाले दिन या उससे पहले मतगणना की व्यवस्था का निरीक्षण करने के लिये निर्वाचन क्षेत्र के अन्दर के यात्रा व्यय को उसके खाते में जोड़ा जायेगा। निर्वाचन क्षेत्र से बाहर के यात्रा व्यय को उसके खाते में नहीं जोड़ा जायेगा। यदि स्टार प्रचारक के निर्वाचन क्षेत्र से बाहर किये गये यात्रा व्यय को राजनीतिदल वहन कर रहा है तो यह व्यय निर्वाचन समाप्ति के 75 दिन के अन्दर राजनैतिक दल द्वारा आयोग को प्रस्तुत किया जायेगा।

================================================================

जनसम्पर्क विभाग
मध्यप्रदेश शासन
जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल
mpinfo.org | dprmp.org | mpnewsarch.org
Follow us: /jansampark.madhyapradesh @jansamparkMP jansamparkMP